भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2651

उत्तर देने की तारीख – 16/12/2025

कमजोर समूहों के लिए पुनर्वास केंद्रों का स्तरोन्नयन

2651. श्री जिया उर रहमान:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्ग नागरिकों और अन्य कमजोर समूहों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच में आने वाली चुनौतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पुनर्वास केंद्रों, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और कौशल प्रशिक्षण सुविधिओं का स्तरोन्नयन करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार वंचित समुदायों के सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए नई पहल शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): सरकार विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

एडिप योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सहायक उपकरण संवितरित किए जाते हैं और नवीनतम तृतीय पक्ष मूल्यांकन में पाया गया है कि इस योजना से लाभार्थियों की गतिशीलता, शिक्षा, आजीविका और समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। इस योजना के तहत स्थापित प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों ने एकीकरण और सुगम्य पुनर्वास सेवाओं को और मज़बूत किया है।

“दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” की व्यापक योजना की नियमित मॉनिटरिंग आंतरिक समीक्षा और तृतीय पक्ष मूल्यांकन के माध्यम की जाती है, और इसके लाभों की प्राप्ति के लिए यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता, एक-बारगी पंजीकरण, बायो/चेहरे से प्रमाणीकरण और यूडीआईडी पोर्टल के साथ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की मैपिंग को मज़बूत किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग “अटल वयो अभ्युदय योजना” कार्यान्वित करता है, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तृतीय पक्ष मूल्यांकन से सहायता-अनुदान में वृद्धि हुई है, औचक निरीक्षण हेतु परियोजना निगरानी एकक का गठन किया गया है तथा जिन राज्यों में यह योजना नहीं थी, वहां परियोजनाएं शुरू की गई हैं। योजनाओं और शिकायत निवारण तक डिजिटल पहुंच को मज़बूत करने के लिए वर्ष 2025 में एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक पोर्टल शुरू किया गया था।

विभाग ने राष्ट्रीय संस्थानों की पहुंच (आउटरीच) शाखाओं के रूप में 30 समेकित क्षेत्रीय केंद्र अनुमोदित किए हैं, ताकि पुनर्वास सेवाएं, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, शिक्षा और कौशल विकास में सहायता की जा सके और दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, 15 से 59 आयु के व्यक्तियों को सरकारी और गैर-सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

सरकार कमज़ोर वर्गों की गरिमा, अवसरों और भागीदारी को बढ़ाने के लिए, समावेशी कल्याण उपायों को मज़बूत कर रही है, पुनर्वास और कौशल पहलों का विस्तार कर रही है, और योजनाओं तक डिजिटल पहुँच में सुधार कर रही है।

*****